प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 में लेखापरीक्षित इकाइयों की रूप–रेखा, लेखापरीक्षा का प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन, प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट) के कार्यालय संगठन की संरचना एवं आलेख प्रस्तरों पर विभागों द्वारा दिये गये उत्तर उद्धृत हैं। इस अध्याय में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के मुख्य बिन्दु भी उल्लिखित हैं।

प्रतिवेदन के अध्याय 2 में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अध्याय 3 में विभिन्न विभागों के लेन–देनों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष समाहित हैं। अध्याय 4 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट–माप विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट सम्मिलित है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2011–12 की अवधि के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा में आये प्रकरणों के साथ पूर्ववर्ती वर्षों के लेखापरीक्षा में आये परन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित न हो सके, प्रकरणों तथा वर्ष 2011–12 की अवधि के पश्चात के प्रकरणों को भी आवश्यकतानुरूप सम्मिलित किया गया है।